बलजीत कौर v/s UIT कोटा

प्रकरण संख्या 239 वर्ष 2015

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17-7-2019 | वकील उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90 क(9) भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है । चूंकि नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना प. 3(50) नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 20 अप्रेल 2017 अनुसार विभागीय अधिसूचना कमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 07.10.2014 को अतिक्रमित करते हुए उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए समस्त नगर सुधार न्यासों / प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में धारा 90–क के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप धारा (9) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया है । अतः यह अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार की नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है । अधिनस्थ न्यायालय का प्राप्तसुदा रेकार्ड लौटाया जावें । पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो ।<br><br>[signature]<br>जिला कलक्टर<br>कोटा | |

Scanned by CamScanner